



प्रेस विज्ञप्ति

02.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.04.2024 को सिकंदर सिंह चोकर, पुत्र धर्म सिंह चोकर, विधायक को गिरफ्तार किया है। इन पर गुरुग्राम में कई परियोजनाओं से संबंधित घर खरीदारों के सैकड़ों करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। उसे हरिद्वार से पकड़ा गया था जहां वह पिछले 4 महीने से फरार था।

ईडी ने धर्म सिंह चोकर, सिकंदर चोकर, मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स साई आइना फार्म्स प्रा. लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत, गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराने के वादे पर 1497 घर खरीदारों से लगभग 363 करोड़ रुपये. एकत्र किये थे। हालाँकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में विफल रही और कई समय-सीमाओं से चूक गई और घर खरीदारों के पैसे को माहिरा समूह की अन्य सहयोगी कंपनियों में भेज दिया। सिकंदर सिंह माहिरा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में प्रमोटर और निदेशक/शेयरधारक हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। फर्जी खरीदारी से प्राप्त नकदी का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। निदेशकों/प्रमोटरों ने घर खरीदारों के पैसे को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में भेज दिया [जो वर्षों से बकाया है] जिसका उपयोग महंगी लक्जरी कारों, बेनामी संपत्तियों, बेटों की महंगी शादी, व्यक्तिगत आभूषण खरीदने और नकदी निकालने के लिए किया गया था।

इससे पहले, इस मामले में ईडी ने 25.07.2023 को विभिन्न जुड़े परिसरों में तलाशी ली थी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी की अब तक की जांच में 36.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।

माननीय न्यायालय ने सिकंदर सिंह के खिलाफ कई बार गैर-जमानती/गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, हालांकि सिकंदर सिंह पिछले 4-5 महीनों से फरार रहा। सिकंदर सिंह को 30.04.2024 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में माननीय सत्र न्यायाधीश - सह - विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 06.05.2024 तक 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। हाल के आदेश में धर्म सिंह चोकर को भी माननीय शीर्ष न्यायालय ने ईडी जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, इस मामले में एक अन्य आरोपी सिकंदर सिंह का भाई विकास चोकर अभी भी फरार है।

आगे की जांच जारी है।